# सप्तदश

# बिहार विधान सभा

## एकादश सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

### वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 10 फाल्गुन, 1945 (श०) / 29 फरवरी, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 05

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | .. | 01 |
| (2) | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | .. | 02 |
| (3) | सहकारिता विभाग | .. | 01 |
| (4) | कृषि विभाग | .. | 01 |
| | | कुल योग -- | 05 |

कार्रवाई करना

33. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 15 जनवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार का धान जा रहा छत्तीसगढ़ और झारखंड" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 45 लाख मेट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य के विरुद्ध 14 लाख 96 हजार मेट्रिक टन की खरीद हो पाई है तथा 30 लाख 4 हजार मेट्रिक टन धान का खरीद बाकी है, जबकि प्रतिदिन 50 हजार टन धान खरीद हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीद पर किसानों को धान पर प्रति क्विंटल 917 रुपये बोनस सहित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को दिया जा रहा है, जिस कारण अधिक मूल्य मिलने के कारण बिहार का धान छत्तीसगढ़ एवं झारखंड भेजा जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छत्तीसगढ़ के अनुरूप किसानों को धान पर प्रति क्विंटल बोनस देने तथा धान खरीद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में धान अधिप्राप्ति की अन्तिम तिथि 15 फरवरी, 2024 निर्धारित है । उक्त के आलोक में दिनांक 13 फरवरी, 2024 तक 2747109.7 (सतांईस लाख सैंतालीस हजार एक सौ नौ दशमलव सात) मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है ।

(2) बिहार राज्य के किसानों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य तथा झारखंड राज्य में धान बेचने की अधिकारिक सूचना जिलों से प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस की राशि जोड़कर भुगतान करने से संबंधित कोई मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

---

अवैध कब्जे से मुक्त कराना

34. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 फरवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "सात जिलों ने ही भेजा मुक्त कराई गई जमीन का ब्यौरा" क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में जमीन की करीब 10 लाख से अधिक जमाबंदी ऐसी है, जिनका कोई हिसाब नहीं है, इन जमाबंदियों का सत्यापन कर इन्हें रद्द करने से संबंधित अभियान चलाने का आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सितम्बर, 2023 में ही सभी जिलों को दिया था, जिनमें से केवल 8 हजार जमाबंदी का ही सत्यापन जिलास्तर पर किया गया है, इसके अलावे राज्य में 8 लाख 50 हजार एकड़ जमीन ऐसे हैं, जिनका अवैध रूप से लोगों के कब्जे में है, यदि हाँ, तो सरकार शेष बचे जमाबंदियों का सत्यापन कर इन्हें रद्द करते हुये अवैध रूप से कब्जा किये गये जमीन का जल्द-से-जल्द अवैध कब्जे से मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

35. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0जा0))--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 15 फरवरी, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "चार लाख किसानों ने धान गेहूँ व सब्जी की खेती छोड़ी" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 की तुलना में सितम्बर, 2023 तक 1 लाख 92 हजार किसानों में धान के खेती 1 लाख किसानों ने गेहूँ की खेती तथा 59 हजार किसानों ने सब्जी की खेती छोड़ दी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य और सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर नहीं मिलने के कारण वे खेती से विमुख हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों को खेती से विमुख होने से रोकने के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कार्रवाई करना

36. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में दाखिल-खारिज के अबतक 7.50 लाख से अधिक मामले लम्बित हैं, जबकि बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के अनुसार आवेदन करने के 45 दिन के अन्दर दाखिल-खारिज कर दिया जाना है, यदि हाँ, तो दाखिल-खारिज में समय-सीमा का अनुपालन नहीं किये जाने के लिये दोषियों पर कौन-सी कार्रवाई सरकार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । राज्य में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है । अबतक दाखिल-खारिज हेतु विभाग को प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की स्थिति निम्न है:--

1. कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 1,22,79,566 (एक करोड़ बाईस लाख उनासी हजार पाँच सौ छियासठ) ।

2. कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या 1,15,09,308 (एक करोड़ पन्द्रह लाख नौ हजार तीन सौ आठ) ।

3. निष्पादन के क्रम में विवादास्पद एवं प्राप्त आपत्ति के आधार पर कुल 46,34,917 (छियालीस लाख चौतीस हजार नौ सौ सतरह) आवेदनों को खारिज किया गया ।

4. शेष लम्बित आवेदनों की संख्या 770264 (सात लाख सत्तर हजार दो सौ चौसठ) । ज्ञातव्य है कि विवादास्पद एवं आपत्ति प्राप्त भूमि का दाखिल-खारिज करने से भूमि विवाद/न्यायिक मामलों/आपसी तनाव की संख्या में बढ़ोतरी होती है जो कि समाज एवं जन समुदाय के हित में नहीं है । इसलिये दाखिल-खारिज निष्पादन के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का सूक्ष्म जाँच करने के उपरान्त ही दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है । आपत्ति प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समय-सीमा 75 दिन जबकि बिना आपत्ति वाले आवेदनों की समय-सीमा 35 दिन है ।

विभाग दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों का ससमय त्वरित निष्पादन करने के लिये प्रतिबद्ध है । इस क्रम में विभाग द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :--

1. विभागीय पत्रांक 308(9), दिनांक 7 फरवरी, 2023 द्वारा सभी समाहर्ता को निदेशित किया गया कि दाखिल-खारिज आवेदनों को प्रत्येक स्तर पर यथा दाखिल-खारिज निष्पादन की कार्रवाई करने वाले प्रत्येक कर्मी/पदाधिकारी द्वारा तय अवधि एवं निर्धारित प्रावधान के तहत निष्पादित किया जायेगा और बिना स्पष्ट कारणों के अस्वीकृत नहीं किया जायेगा । साथ ही दाखिल-खारिज आवेदनों को निष्पादित करने के क्रम में FIFO (First in First Out) पद्धति का अनुपालन करना सुनिश्चित किया गया है ।

2. दाखिल-खारिज आवेदनों का त्वरित निष्पादन हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी अंचलों में ODD-EVEN प्रणाली अपनाई गई है जिसमें अंचल अधिकारी के साथ-साथ राजस्व अधिकारी को भी दाखिल-खारिज करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

---

कार्रवाई करना

37. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0जा0))--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 जनवरी, 2024 अंक में प्रकाशित शीर्षक "10 वर्षों में 11 लाख टन क्षमता तक ही अन्न भंडार गृह बने" के अलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012-17 के अंक में 11.14 लाख टन क्षमता के भंडार गृह के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन मात्र 8.67 लाख टन क्षमता का भंडार गृह का निर्माण किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017-23 में 28.28 लाख टन भंडार गृह बनाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि मात्र 2.51 लाख टन क्षमता के भंडार गृहों हो निर्माण हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भंडार गृहों का लक्ष्य के अनुरूप निर्माण नहीं कराने के लिये दोषियों की पहचान कर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

पटना :
दिनांक 29 फरवरी, 2024 (ई0) ।

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0म0प0, 101(एल0ए0), 2023-24-डी0टी0पी0-550